कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जबलपुर (म.प्र.)

//आदेश//

क्रमांक 35 /दो–11–17/2017 जबलपुर, दिनांक 08 जनवरी 2022

वर्तमान में कोरोना–19 महामारी के नए वेरिएंट ओमीक्रान के अत्याधिक तीव्रता से फैलने के फलस्वरूप माली/वाहन चालक/स्वीपर/भृत्य/चौकीदार/जलवाहक (कलेक्टर रेट/आकस्मिकता निधि से वेतन भोगी कर्मचारी) के रिक्त पदों की सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु माननीय रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक क्यू/एक्जाम/ 2022 जबलपुर दिनांक 07.01.2022 के आलोक में दिनांक 10.01.2022 से दिनांक 16.01.2022 की अवधि में आयोजित साक्षात्कार तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक स्थगित किये जाते हैं।

आगामी साक्षात्कार की सूचना पृथक से दी जावेंगी।

Sd/-

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

पृष्ठा.क्रमांक 118 /दो–11–17/2017 जबलपुर, दिनांक 08 जनवरी 2022

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति महोदय, उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर माननीय महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने बावत्।
2. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि, संबंधित सर्विस प्रोवाईडर को निर्देशित करने का कष्ट करें कि दिनांक 10.01.2022 से दिनांक 16.01.2022 की अवधि में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को एस.एम.एस. /ई–मेल के माध्यम से साक्षात्कार स्थगन की सूचना अविलंब देवें।
4. सर्वसंबंधित अधिकारी/कर्मचारी की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी अधिकारी नाजरात अनुभाग जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता हैं कि, उक्त साक्षात्कार स्थगन के संबंध में दृष्टतव्य स्थान पर नोटिस बोर्ड तत्काल चस्पा करें।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट जिला न्यायालय जबलुपर की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित हैं कि, उक्त आदेश उच्च न्यायालय एवं जिला न्यायालय की बेवसाईट पर अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करें।
7. सर्विस प्रोवाईडर मेसर्स टी.सी.एस. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. जनसंपर्क अधिकारी, जबलपुर को इस निर्देश के साथ आदेश की प्रति प्रेषित हैं कि, साक्षात्कार स्थगित होने की सूचना प्रकाशित करवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)